[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2019

आदेश सं0. 04/2019-केन्द्रीय कर

का.आ. (अ). – जबकि, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिनपश्चात् इस आदेश में "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 17 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इतने इनपुट टैक्स तक सीमित रहेगा, जो करधान आपूर्ति के कारण होता है; और

और जहाँ कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के उद्देश्य के लिए मूल्य वही होगा जो कि नियमों के द्वारा निर्धारित किया जायेगा;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

1. लघु शीर्षक – यह आदेश केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (कठिनाइयों का चौथा निराकरण) आदेश, 2019 कहलाएगा ।

2. कठिनाइयों के निवारण के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, जिनपर कर लगता हो, जिनमें कि जीरो रेटेड आपूर्तियाँ और छूट प्राप्त आपूर्तियाँ भी आती हैं, से संबंधित क्रेडिट राशि का निर्धारण उस कॉम्पलेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रकचर के या उसके हिस्से के निर्माण के क्षेत्रफल पर आधारित होगा जो कि कर योग्य है और छूट प्राप्त है।

2. यह आदेश 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगी।

[फा. सं0. 354/32/2019-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)

उप सचिव, भारत सरकार